ग्राम पंचायत कोठों, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कोठों, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कोठों में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त रहेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कृष्ण लाल	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री कवि राज	23.01.16 से लगातार

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सत्या देवी	01.04.13 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत कोठों विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	–
2	6.3	खाता ख के ब्याज को खाता क में अन्तरित न किया जाना	0.77
3	8	पंचायत राजस्व की वसूली का शेष पाया जाना	0.46
4	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	10.23
5	10	निर्माण कार्यों के प्राकलन तैयार किए बिना अनियमित व्यय	23.46
6	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना	6.74

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कोठों, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 5.9.2016 से 6.10.2016 तक कृषि उपज विपणन समिति सोलन के कार्य के साथ–2 ग्राम पंचायत कोठों के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 3/15 व 3/16 तथा माह 10/13, 11/14 व 12/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कोठों, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 01.04.2013 से 3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32 दिनांक 4.10.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कोठों से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत कोठों, विकास खण्ड सोलन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 व 2** में भी दिया गया हैः–

(क) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत कोठों के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	339325.76	107379	446704.76	26014.37	420690.39
2014–15	420690.39	78409	499099.39	27083.00	472016.39
2015–16	472016.39	114016	586032.39	69766.00	516266.39

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत कोठों (सोलन) के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–1 व 2** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	232771	2234226	2466997	1751835	715162
2014–15	715162	1336905	2052067	1679221	372846
2015–16	372846	1765497	2138343	1114943	1023400

5 **(क) बैंक समाधान विवरणी में अन्तर का पाया जानाः–**

ग्राम पंचायत कोठों (सोलन) के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की बैंक समाधान विवरण निम्न प्रकार से थाः–

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष

स्वयं स्त्रोत	516266.39
अनुदान	**1023400.00**
योग	**₹1539666.39**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक पास बुक के अनुसार शेषः–

खाता सं0 101834022000059	8897773.94
खाता सं0 101834001007022	95914.00
खाता सं0 102234022000008	102767.45
खाता सं0 102234022000003	12123.00
खाता सं0 102234001000747	11429.00
खाता सं0 1189101007079	180799.00
खाता सं0 1189101005051	212039.00
खाता सं0 66 (सावधिक जमा)	83394.00
योग	**1588239.39**

अन्तर (बैंक में अधिक जमा राशि) (1588239.39–1539666.39)=₹48573

(ख) अन्तर के कारणः–

1) खाता संख्या 101834001007022 मे वर्ष 2008 से ₹200 अधिक जमा है।

2) खाता संख्या 1189101005051 में ₹14 गत वर्ष से अधिक जमा है।

3) चैक संख्या 1270079, दिनांक 31.3.16 ₹48000 को अभुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु दिनांक 31.3.16 को भुगतान नहीं हुआ था (Cheque issued for payment but not cashed)

4) दिनांक 31.3.16 ₹359 हस्तगत (Cash in hand) थी।

6.1 (क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत कोठों की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान जलगम परियोजना, मनरेगा के लिए तीन अलग–2 रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन तीन रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना अति आवश्यक है। मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कोठों (सोलन) में रोकड़ बहियों के रख–रखाव में इन नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध सात बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता (ख) में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत कोठों में दो के स्थान पर सात खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन पाँच अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता "ख" में अर्जित ब्याज के ₹0.77 लाख को खाता "क" में अन्तरित न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कोठों (सोलन) के बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस

नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹76780 खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता "ख" के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

		वर्ष								
खाता संख्या	**8/13**	**3/14**	**8/14**	**11/14**	**1/15**	**3/15**	**8/15**	**2/16**	**3/16**	**कुल ब्याज (₹)**
5051	4165	7305	—	10222	8129	—	4789	6569	—	4179
4190	—	4790	3012	—	—	4515	5345	5918	—	23579
461	—	3480	—	—	—	3835	—	—	3990	11305
14088	—	139	—	—	—	283	—	295	—	717
कुल योग	**4165**	**15714**	**3012**	**10222**	**8129**	**8632**	**10134**	**12782**	**3990**	**76780**

6.4 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिये गये विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम–2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रख जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.5 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप–8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत द्वारा इसे उपर सन्दर्भित नियम के अनुसार तैयार नहीं किया गया है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 के अनुसार पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राकलनों का नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व की ₹0.46 लाख की वसूली शेष पाई जानीः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कोठों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.16 तक पंचायत के राजस्व में ₹46300/– की वसूली शेष थीः–

भवनों का किरायाः–

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	2250	19800	22050	13350	8500
2014–15	8500	19800	28300	7000	21300
2015–16	21300	19800	41100	22800	18300

मोबाईल टावरों से किराया

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	14000	2000	16000	–	16000
2014–15	16000	4000	20000	–	20000
2015–16	20000	8000	28000	–	28000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान की ₹10.23 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1023400 उपयोग हेतु शेष थी परिशिष्टों में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अवरोधित अनुदान राशियों की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। 31.3.2014 से यह ₹7.15 लाख से बढ़कर 31.3.2016 तक ₹10.23 लाख हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान

व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राकलन तैयार किए बिना ही ₹23.46 लाख का अनियमित व्ययः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इसके अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान चयनित मास से सम्बन्धित उपलब्ध करवाये गये निर्माण कार्यों के व्यय वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 4** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹2345693 का व्यय प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किए बिना ही किया गया जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त आपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.74 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। चयनित मासों के व्यय वाउचर के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹674326 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव

किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 75 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह संस्था को जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्षः— ग्राम पंचायत के लेखाओं के रख—रखाव में उचित सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 4/2016—खण्ड—1—1359—1362 दिनाँकः 06.03.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत कोठों, विकास खण्ड सोलन, तहसील सोलन, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन, तहसील सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.